मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

सं. मानु/ई.आर.I(बी)/मि.292/2019/1543 दिनांक- 06 फरवरी 2019

अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक. 31.7.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित यू.जी.सी.(उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018, यू.जी.सी. से प्राप्त पत्र सं.एफ-1-18/2010 (सीपीपी) दिनांक.6.8.2018(प्रति संलग्न) देखें, को अपने छात्रों, शोधकर्ताओं, प्राध्यापक और मानु के स्टाफ के लिए अपनाया गया, विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अधिसूचना संख्या ई.आर.1(बी)/मि.282 दिनांक. 21.12.2018 देखें।

2. दिनांक. 27.12.2018 को आयोजित 72 वीं कार्यकारी परिषद की बैठक के संकल्प सं.72.5.2, के अनुसरण में, कुलपति महोदय की अनुमति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018, के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत अपेक्षित संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पेनल(आईएआईपी) का गठन किया गया जो इस प्रकार है:

क्र.सं.	संरचना	नाम
i.	अध्यक्ष (विश्वविद्यालय के सम-कुलपति/ संकाय अध्यक्ष/ वरिष्ठ शिक्षाविद्।	**प्रो. फ़ातिमा बेगम** संकाय अध्यक्ष, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संकाय
ii.	कुलपति द्वारा अध्यक्ष के अलावा नामित एक वरिष्ठ शिक्षाविद्।	**डॉ. सय्यद अलीम अशरफ़** विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग
iii.	कुलपति द्वारा नामनित एक बाह्य सदस्यगण।	**प्रो. असमर बेग** राजनीतिक विज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
iv.	कुलपति द्वारा नामित साहित्यिक चोरी के साधनों से भली-भांति परिचित एक व्यक्ति।	**डॉ. अख़्तर परवेज़** विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष

आईएआईपी को स्थापना एवं भर्ती-I अनुभाग के अनुभाग अधिकारी के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

3. आईएआईपी यू.जी.सी. (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018, के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगें।

4. अध्यक्ष सहित समिति के सदस्यगणों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) अध्यक्ष सहित 3 में से 2 सदस्यों द्वारा होगी।

5. आईएआईपी विश्वविद्यालय के छात्रों, प्राध्यापक,शोधकर्ताओं तथा कर्मचारिवृंदों के विरूद्ध साहित्यिक चोरी के आरोपों के संबंध में निर्णय देते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा। आईएआईपी उस व्यक्ति(यों) को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएगा जिसके विरूद्ध जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

6. आईएआईपी जांच उपरांत रिपोर्ट तथा कुलपति द्वारा लगाए जाने वाले दण्ड संबंधी सिफारिशों को शिकायत प्राप्त होने/ कार्यवाहियां आरंभ किए जाने की तिथि से 45 दिनों के भीतर भेजेगा।

कुलसचिव

प्रति :-

1. प्रो. फ़ातिमा बेगम, संकाय अध्यक्ष, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संकाय
2. डॉ. सय्यद अलीम अशरफ़, विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग
3. प्रो. असमर बेग, राजनीतिक विज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
4. डॉ. अख़्तर परवेज़, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष
5. सभी संकाय अध्यक्षों/ विभागाध्यक्षों/ केन्द्रों के निदेशक/ संयुक्त संकाय अध्यक्ष (शैक्षिक)/ डीएसडब्ल्यू/ परीक्षा नियंत्रक/ निदेशक, आईक्यूएसी।
6. निदेशक, डीडीई/आर.सी./एस.आर.सी/प्रधानाचार्य, सीटीई/ पॉलिटेकनीक/ मॉडल स्कूल/ प्रभारी/ लखनऊ एवं बड़गाम कैम्पस।
7. सभी अनुभागों के अध्यक्ष/ संयुक्त कुलसचिव/ उप-कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव।
8. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी- अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. जनसंपर्क अधिकारी/ हिन्दी अधिकारी - उर्दू व हिन्दी अनुवाद हेतु।